



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1943 (श0)

(सं0 पटना 379) पटना, बृहस्पतिवार, 10 जून 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

3 मार्च 2021

सं0 5 न0वि0/गठन-17/2020-1029/न0वि0एवंआ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ गया जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत नगर पंचायत बोधगया का नगर परिषद् में उत्क्रमण, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4381 दिनांक 26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद में उत्क्रमित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :-

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम एवं थाना संख्या	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद् बोधगया	महुडर-363 भलुआ-364 कोल्हौरा-365 पड़रिया-404 धन्धवा-366 भरतपुरा-353 टेकुना-352 धनावॉ-351 जहानविगहा-349 खराँटी-350	पड़रिया, धनावॉ, इलरा, मोचारिम, शेखवारा, बकरीर एवं बसाढ़ी (सभी आंशिक)	उत्तर-दुवहल (प्रखण्ड चन्दौती) दक्षिण-शिवराजपुर-440, बभनी-434 पूरब-नरकटिया-443 एवं मुहाने नदी पश्चिम-तिरखा-402, कंचनपुर-347	80209

		अमरविगहा-348 मोचारिम-424 तुरीखुद-423 तुरी बुजर्ग-362 रतनारागंगा-357 बकरौर-358 सिलौजा-442 हथियार-441 निमा-439			
--	--	--	--	--	--

2. इस क्षेत्र को नगर परिषद बोधगया कहा जायेगा।
3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 379-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>